

राज स्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(3) बैठक / न्याय / 2019

जयपुर, दिनांक 07.01.2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषय:- लाईट्स सॉफ्टवेयर की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक F1(10)Meeting/justice/2013-part/301 दिनांक 03.06.2015 के माध्यम से प्रशासनिक / जिला स्तर / विभागीय जिला स्तर पर न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों का मनोनयन करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था जिसके तहत न्याय विभाग के स्तर पर समस्त प्रशासनिक विभागों की, प्रशासनिक विभागों के स्तर पर उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, निगम, बोर्ड इत्यादि एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

उक्त परिपत्र के क्रम में विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगम के लम्बित प्रकरणों के संबंध में निम्न व्यवस्था प्रभावी होगी :-

जिला कलक्टर के स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में विभागाध्यक्ष / निगम / बोर्ड इत्यादि के प्रकरणों की समीक्षा नहीं की जायेगी। उक्त प्रकरणों की समीक्षा प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही होगी व उक्त प्रकरण प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही दर्शाये जायेगे।

अतः तदनुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

2

शासन संयुक्त सचिव